

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अधिसूचना

रायपुर, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 (अग्रहायण 25, 1945)

क्रमांक 11105/विस/विधान/2023 राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 दिसंबर, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, श्री रामविचार नेताम, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरान्त निर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तथा सभा की बैठक चल रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हो, को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूँ। जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2023

विश्वभूषण हरिचंदन

राज्यपाल, छत्तीसगढ़



(दिनेश शर्मा)

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अधिसूचना

रायपुर, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 (अग्रहायण 25, 1945)

क्रमांक 11105/विस/विधान/2023 राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 दिसंबर, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, श्री रामविचार नेताम, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरान्त निर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तथा सभा की बैठक चल रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हो, को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूँ। जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2023

विश्वभूषण हरिचंदन
राज्यपाल, छत्तीसगढ़

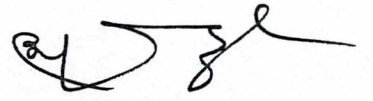
हस्ता/-
(दिनेश शर्मा)
सचिव

क्रमांक- 11106/वि.स./विधान/2023

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा।
2. समस्त माननीय सांसद, छत्तीसगढ़।
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर।
4. माननीय राज्यपाल के सचिव, रायपुर।
5. माननीय अध्यक्ष के सचिव को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
6. माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/उप मुख्यमंत्रियों के निज सचिव, निज सहायक।
7. महालेखाकार (लेखापरीक्षा)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
10. समस्त संभाग आयुक्त/समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
12. छत्तीसगढ़ शासन सचिवालय के समस्त विभाग, रायपुर।
13. कार्यपालन अभियंता, (भवन एवं सड़क) एवं (विद्युत यांत्रिकी) लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर।
14. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, रायपुर।
15. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, रायपुर।
16. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली।
18. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली।
19. भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव।
20. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
21. सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90, संसद भवन, नई दिल्ली।
23. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
24. स्थायी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी/भारतीय जनता पार्टी/गोडवाना गणतंत्र पार्टी, रायपुर।
25. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखाएं।



(दिनेश शर्मा)

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा.